<u>कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन म.प्र.</u>

<u>नीलामी विज्ञप्ति</u>

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है, कि जिला न्यायालय उज्जैन के मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा वस्तुऐं कम्प्रेसर मशीन, वॉटर पंप, टेलीविजन, सिलाई मशीन, पंखे, बिजली के तार जिनमें कुछ जले हुए, कम्प्युटर, टेप रिकार्डर/रेडियों, स्टील की कोठी, पीतल की कोठी, स्टील के तपेले, एल्युमीनियम के तपेले, पीतल एवं स्टील की थालियां, पीतल/स्टील/एल्यूमीनियम के बर्तन, गैस स्टौप, लोहे की बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी, लोहे के बक्से, लोहे की तिजौरी टुटी हुई, लोहे की दान पेटी टुटी, प्लास्टिक के टब, मोटर साईकिल के टायर, लोहे के पाईप गोल एवं चौकोर, पंचर सुधारने की लोहे की मशीन, फ्रिज बंद हालत में, गोदरेज की अलमारी, वॉशिंग मशीन बंद हालत में, पीतल का घंटा, पीतल का त्रिशुल, एवं पुराने मालखाने में रखा लोहे का भंगार आदि संपत्तियां जिसका बाजार मूल्य निर्धारित दिनांक 12/10/2022 के अनुसार प्रातः 11:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है ।

उक्त नीलामी में सम्मिलित होने हेतु माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से देय राशि रूपये 50,000/– का बैक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी के संबंध में उपरोक्त वर्णित वस्तुओं का अवलोकन व अन्य जानकारी कार्यालयीन दिवस/समय में मालखाना नाजिर, मालखाना अनुभाग जिला न्यायालय उज्जैन से प्राप्त की जा सकती है एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिकारिक वेबसाइट (www.mphighcourt.nic.in) एवं आयुक्त जनसंपर्क की वेबसाईट dpradvt तथा कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन की वेबसाईट http:districts.ecourts.gov.in/ujjain पर भी मय शर्तो सहित देखी जा सकती है।

उपरोक्त जप्तशुदा वस्तुओं की नीलामी संबंधी कार्यवाही की शर्ते निम्नानुसार है :–

:– **निविदा शर्ते** –:

01. मालखाना अनुभाग में आपराधिक प्रकरणों में जप्तशुदा कम्प्रेसर मशीन, वॉटर पंप, टेलीविजन, सिलाई मशीन, पंखे, बिजली के तार जिनमें कुछ जले हुए, कम्प्युटर, टेप रिकार्डर/रेडियों, स्टील की कोठी, पीतल की कोठी, स्टील के तपेले, एल्युमीनियम के तपेले, पीतल एवं स्टील की थालियां, पीतल/स्टील/एल्यूमीनियम के बर्तन, गैस स्टौप, लोहे की बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी, लोहे के बाक्से, लोहे की तिजौरी टुटी हुई, लोहे की दान पेटी टुटी, प्लास्टिक के टब, मोटर साईकिल के टायर, लोहे के पाईप गोल एवं चौकोर, पंचर सुधारने की लोहे की मशीन, फ्रिज बंद हालात में, गोदरेज की अलमारी, वॉशिंग मशीन बंद हालत में, पीतल का घंटा, पीतल का त्रिशुल, एवं पुराने मालखाने में रखा लोहे का भंगार आदि संपत्तियों का पृथक–पृथक न्यूनतम अपलेखन मूल्य उक्त दिनांक को बाजार अनुसार (शासकीय बोली) नियत है।

02. उपरोक्त जप्तशुदा वस्तुओं की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में मूल्य रूपये 50,000/– का बैंक ड्रॉफ्ट माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

03. अमानत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट नीलामी की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगाई गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करने के पश्चात् अमानत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट लौटाया जावेगा।

04. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार करने तथा नीलामी के आंशिक रूप से एवं पूर्ण रूप से रख लेने अथवा निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृति/अस्वीकृति का संपूर्ण अधिकार सर्वथा मुद्देमाल नीलामी समिति कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, उज्जैन को प्राप्त होगा।

05. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

06. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति, नियम अनुसार सक्षम अधिकारी

द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् नीलामी वस्तुओं को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

07. जप्तशुदा वस्तुओं को अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के 07 (सात) दिवस के अन्दर बोली की संपूर्ण राशि बैंक ड्रॉफ्ट, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन के नाम से जमाकर, सामग्री को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अमानत राशि, शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

08. संबंधित जप्तशुदा वस्तुओं जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन में उपलब्ध है, जिनके अवलोकन हेतु मालखाना नाजिर, उज्जैन से संपर्क करें।

09. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर जप्तशुदा वस्तुओं को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी संपूर्ण शर्ते स्वीकार कर ली गई है, ऐसा माना जावेगा।

10. जप्तशुदा वस्तुओं के विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक विक्रय प्रमाण पत्र जारी करने पर क्रेता को उक्त वस्तुओं को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय, उज्जैन से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11. उपरोक्त नियमों की शर्तो का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वस्तुओं की नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रभारी अधिकारी,
मालखाना अनुभाग
वास्ते/कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन (म.प्र.)